(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 180/2021

राजेश कुमार नारनोलिया पुत्र फूलचन्द नारनोलिया, मु0पो0 नवलडी, वाया नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं पिनकोड 333042 मो0न0 9829871926

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 180/2021 पर दिनांक 03.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2933–34 दिनांक 03.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2021/290 दिनांक 13.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे जो सूचना चाही है उक्त सूचना के संबंध मे प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/निर्वाचन/2021/566 दिनांक 03.09.2021 के द्वारा सूचना के संबंध मे सूचित कर दिया गया है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना चाहे जाने पर समयावधि मे ही आवेदक को सूचना के संदर्भ मे सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ पत्रांक सू0अ0अ0/2021/290 दिनांक 13.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे जो सूचना चाही है उक्त सूचना के संबंध मे प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/निर्वाचन/2021/566 दिनांक 03.09.2021 के द्वारा सूचना के संबंध मे सूचित कर दिया गया है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना चाहे जाने पर समयावधि मे ही आवेदक को सूचना के संदर्भ मे सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं